प्रेस नोटः- जनपद बिजनौर   दिनांकः- 19.05.2025

थाना धामपुर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा दहेज हत्या के आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व 30,000/- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाहीः–

अवगत कराना है कि दिनांक 27.05.2022 को वादी ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि वादी की पुत्री की शादी दिसम्बर 2021 में सुमित कुमार पुत्र नरेश कुमार निवासी ग्राम दतियाना थाना छपार जनपद मुजफ्फरनगर से हुयी थी। दिनांक 26.05.2022 को सुमित वादी की पुत्री के साथ दहेज की मांग को लेकर झगडा कर रहा था तथा दिनांक 27.05.2022 को सुमित उपरोक्त ने वादी की पुत्री के गले पर चाकू से वार किया , जिससे वादी की पुत्री की मृत्यु हो गयी। तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 170/22 धारा 498A/304B व ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 19.05.2025 को माननीय न्यायालय स्पेशल जज SC/ST एक्ट बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 170/22 धारा 498A/304B भादवि, 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम व धारा 3(2)5 SC/ST एक्ट के अभियुक्त सुमित कुमार पुत्र नरेश कुमार निवासी ग्राम दतियाना थाना छपार जनपद मुजफ्फरनगर को आजीवन कारावास व 30,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पताः-

सुमित कुमार पुत्र नरेश कुमार निवासी ग्राम दतियाना थाना छपार जनपद मुजफ्फरनगर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना अफजलगढ   दिनांक – 19.05.2025

थाना अफजलगढ पुलिस ने मु0अ0सं0 148/25 धारा 137(2) बीएनएस मे वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 13.05.2025 को वादी ने थाना अफजलगढ पर तहरीर दी कि अभियुक्त राजू पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम भागीजोत थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर वादी की पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 148/25 धारा 87 बीएनएस पंजीकृत किया गया । अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग मे धारा धारा 87 बीएनएस का लोप कर धारा 137(2) बीएनएस की वृद्धि की गई।

कार्यवाही का विवरण –

थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 148/25 धारा 137(2) बीएनएस मे वांछित अभियुक्त राजकुमार उर्फ राजू पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम भागीजोत थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

राजकुमार उर्फ राजू पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम भागीजोत थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.थानाध्यक्ष सुमित राठी थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

2.उ0नि0 शिवम तायल थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

3.आरक्षी कृष्ण राणा थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

4.आरक्षी शुभम चौधरी थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना अफजलगढ **दिनांक 19.05.2025**

थाना अफजलगढ़ पुलिस ने अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त शानिब राजा पुत्र शकील अहमद निवासी नई बस्ती वार्ड नं 22 बिजली घर के पीछे थाना व कस्बा ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद को 01 एक अवैध तमंचा 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त शानिब ने पूछताछ के दौरान बताया कि उसने यह तमंचा गुलफाम पुत्र शफीक निवासी ग्राम अभयराजपुर थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर से 5000 रुपये मे खरीदा था। इस संबंध में थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 154/2025 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट बनाम शानिब व गुलफाम उपरोक्त पंजीकृत किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता :–

शानिब राजा पुत्र शकील अहमद निवासी नई बस्ती वार्ड नं 22 बिजली घर के पीछे थाना व कस्बा ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद

बरामदगी विवरणः-

01 एक अवैध तमंचा 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.थाना प्रभारी सुमित राठी थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
2.उ0नि0 श्री मनोज कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
3.आरक्षी 127 अरुण कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
4.मुख्य आरक्षी 540 पुष्पेन्द्र कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना मंडावली   दिनांक – 19.05.2025

थाना मंडावली पुलिस ने मु0अ0सं0 56/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट मे वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.05.2025 को थाना मण्डावली पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों प्रतीक मित्तल पुत्र स्व0 श्री मुकेश मित्तल निवासी आर्य नगर थाना कोतवाली शहर जनपद मुरादाबाद व रिषभ कुमार पुत्र अनिल कुमार निवासी ऐजेन्सी मोहल्ला कस्बा व थाना श्रीनगर जनपद पौडी (उत्तराखण्ड) को कुल 01 किलो 500 ग्राम अवैध चरस व घटना में प्रयुक्त कार (UKP15CM0041) सहित गिरफ्तार किया गया था। इस संबंध में थाना मंडावली पर मु0अ0सं0 56/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। उपरोक्त अभियोग मे विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियुक्त मनीष पुत्र अत्तर सिंह निवासी ग्राम चाहडवाला थाना मण्डावर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश मे आया।

कार्यवाही का विवरण –

थाना मण्डावली पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग मे वांछित अभियुक्त मनीष पुत्र अत्तर सिंह निवासी ग्राम चाहडवाला थाना मण्डावर जनपद बिजनौर को 250 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मनीष पुत्र अत्तर सिंह निवासी ग्राम चाहडवाला थाना मण्डावर जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण –

250 ग्राम चरस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 श्री संजय कुमार थाना मंडावली जनपद बिजनौर।
2.हे0का0 833 अंकुर दुहूण थाना मंडावली जनपद बिजनौर।
3.हे0का0 80 दीपक थाना मंडावली जनपद बिजनौर।
4.का0 2585 ब्रिजेश कुमार मंडावली जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना चांदपुर **दिनांक 19.05.2025**

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मु0अ0स0 279/25 धारा 333/109(1) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त सब्जी काटने के चाकू सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 16.05.25 को वादी नासिर पुत्र अब्दुल मजीद निवासी मौहल्ला शाहचन्दन कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि एक व्यक्ति नाम पता अज्ञात द्वारा वादी के घर मे घुसकर वादी के साढू की पुत्री मुस्कान पुत्री अशरफ नि0 मौ0 सराय मीर कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर की गर्दन पर धारदार हथियार से वार किया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चादंपुर पर मु0अ0स0 279/25 धारा 333/109(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में सलमान पुत्र फुरकान निवासी मौहल्ला शाहचन्दन थाना चांदपुर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया।

कार्यवाहीः-

थाना चादंपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त सलमान पुत्र फुरकान निवासी मौहल्ला शाहचन्दन थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त सब्जी काटने के चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सलमान पुत्र फुरकान निवासी मौहल्ला शाहचन्दन थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी-

घटना में प्रयुक्त सब्जी काटने का चाकू।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 श्री शादाब खान थाना चादंपुर जनपद बिजनौर
2.मुख्य आरक्षी 389 राहुल कुमार थाना चादंपुर जनपद बिजनौर
3.का0 1116 अवनीश थाना चादंपुर जनपद बिजनौर
4.का0 2044 अभिषेक थाना चादंपुर जनपद बिजनौर